न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : **17/2020**

GCMS NO. : **2020/00038**

–:: प्रार्थीगण ::– बनाम –:: अप्रार्थीगण ::–

प्रार्थीगण:

1. विजयराज पुत्र तेजाराम
2. पप्पूलाल पुत्र तेजाराम
3. मीठालाल पुत्र तेजाराम
4. सीतादेवी बेवा तेजाराम
5. कौशल्या पुत्री तेजाराम

जातियान– सरगरा, निवासीगण– पाटवा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।

अप्रार्थीगण:

1. गोविन्द पुत्र भंवरू
2. महेन्द्र पुत्र भंवरू

   जातियान– सरगरा, निवासीगण– पाटवा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।
3. तहसीलदार जैतारण (लैण्ड होल्डर) जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 15/06/2020

उपस्थितः. 1. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः 31/08/2021

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायलान एवं गैरसायलान संख्या एक व दो कि संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम पाटवा पटवार हल्का पाटवा भू. अभिलेख निरीक्षक बेडकला तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) में स्थित हैं। जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपी सम्वत् 2074–2077 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न हैं जो प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावें। सायलान एवं गैरसायलान की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैं। खाता संख्या 151 खसरा संख्या 1116 रकबा 7.15 बीघा किस्म बारानी दोयम, खाता संख्या 266 खसरा संख्या 435/1 रकबा 8.17 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है। उक्त आराजी की कृषि भूमि में सायलान का 1/2 हिस्सा हैं गैरसायलान का 1/2 हिस्सा हैं इसी हिस्से माफिक मौके पर मना गना बंटवाडा करके इनके पूर्वजो के समय से काबिज हैं और शांति पूर्वक सायलान का 1/2 हिस्से की कृषि भूमि में बिना किसी रोक टोक के उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे हैं। इसी [illegible]ार राजस्व रेकर्ड में सायलान का नाम दर्ज हैं। परन्तु राजस्व [illegible] ण्डस के बंटवाडा किया हुआ नहीं हैं, न ही नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीन [illegible] हुआ हैं। इसलिये सायलान को अपने हिस्से की कृषि भूमि में आधुनिक तरीके से उचित किस्म की खाद डाल कर काश्त करने में परेशानी हो रही हैं। इसलिये कानूनी रूप से प्रार्थनापत्र में पेरा संख्या दो में वर्णित आराजी की कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा किया जाना आवश्यक हैं जो बंटवाडा किया जाकर नक्शा लट्ठा ट्रेस में सायलान का 1/2 हिस्सा तरमीन किये जाने का आदेश फरमावें। जब तक सायलान का 1/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

हिस्सा जो प्रार्थनापत्र के पेरा संख्या दो में वर्णित खसरा नम्बरान की कृषि भूमि का कानूनी रूप से बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा करके पत्थर गढी की जाकर नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीन नहीं की जाती हैं तब तक सायलान को परेशानी का सामना करना पडेगा। इसलिये सायलान की तरफ से गैरसायलान के विरूद्ध प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जा रहा हैं। सायलान गरीब व्यक्ति हैं काश्त का कार्य करके अपनी आजिविका चलाते हैं। इनके भरण पोषण का एक मात्र आधार कृषि कार्य से होने वाली आय से ही करते हैं। गैरसायलान संख्या एक व दो मिलकर सायलान को अपने 1/2 हिस्से की कब्जे काश्त की कृषि भूमि से लाठी के बल पर बेदखल करके हडप करना चाहते हैं। आये दिन काश्त मुतालिक कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं और ऐलानिया धमकिया देते हैं कि आपके लाठी के बल पर बेदखल करके कब्जा करके रहेगें और काश्त नहीं करने देगें। जबकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। सायलान गरीब काश्तकार हैं। यदि गैरसायलान लाठी के बल पर बेदखल कर देगें तो सायलान अपने कानूनी जायज हक हकूको एवं मालिकाना अधिकार एवं काश्त के कार्य से वंचित रह जायेगे एवं भूखे मरने की नोबत आयेगी। केवल मात्र कृषि कार्य करके ही इससे होने वाली आय से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। सायलान अपने हक हिस्से एवं मालिकाना अधिकार की 1/2 हिस्से की कृषि भूमि में गैरसायलान को ऐसा हरगिज नहीं करने देगें। यदि गैरसायलान सायलान को लाठी के बल पर बेदखल करके इनका हिस्सा हडप कर लिया तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिये सायलान के हक में प्रथम दृष्ट्या मामला हैं। सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के हक में साबित हैं। सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में सम्भव नहीं होगी। सायलान को बार बार कानूनी कार्यवाही करने से मल्टीप्लीसीटी अ०फ प्रोसिडींग्स होगी एवं खर्चे से जेर बार होना पडेगा। इसलिये सायलान की तरफ से गैरसायलान के विरूद्ध प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश हैं । प्रार्थनापत्र के पेरा संख्या दो में वर्णित आराजी कि कृषि भूमि में सायलान का 1/2 हिस्सा हैं गैरसायलान का 1/2 हिस्सा हैं इसी हिस्से माफिक मौके पर अलग अलग कब्जा काश्त हैं इसी हिस्से माफिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा किया जाकर मौके पर पत्थरगढी करके सायलान का 1/2 हिस्सा नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीन किया जावें एवं सायलान का हिस्सा राजस्व रेकर्ड में अलग करने का आदेश फरमावें। उक्त प्रकरण में गैरसायल संख्या तीन तहसीलदार जैतारण भूमि धारक हैं। जो राजस्व रेकर्ड में कृषि भूमि का बंटवाडा करने का कानूनी अधिकार होने से कानूनी रूप से पक्षकार बनाया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात के पेश कर निवेदन हैं कि सायलान के हक में तीनों बिन्दू प्रथम दृष्ट्या मामला सुविधा का सन्तुलन साबित हैं। यदि गैरसायलान द्वारा लाठी के बल पर बेदखल कर दिया व काश्त के कार्य में बाधा उत्पन्न की तो सायलान अपने कानूनी हक हकूको से वंचित हो जायेगें व अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में सम्भव नहीं होगी। इसलिये सायलान को अपने 1/2 हिस्से की कृषि भूमि पर कब्जे काश्त से लाठी के बल पर बेदखल नहीं करे एवं काश्त के कुल कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करे। मूल वाद पत्र के निर्णय तक हमेशा हमेशा के लिये गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा के रोके जाने का आदेश फरमावें।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:41 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, सामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो सा0मि0 हैं। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 व 2 मे दर्ज कथन का जबाब है कि सरहद मौजा पाटवा मे सायलान् एवं गैरसायलान् की सामलाती खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1116 रकबा 7.15 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 435/1 रकबा 8.17 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 16.12 बीघा कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड मे सामलाती खातेदारी मे दर्ज है, सायलान् 1/2 व गैरसायलान 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार एवं कब्जा काश्त है, उक्त भूमि का मौके पर खातेदारान् के बीच बंटवाडा होकर मौके पर माफिक हिस्सेनुसार काबिज है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 मे दर्ज कथन का जबाब कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 मे दर्ज कृषि भूमि का आज से 45 वर्षो पूर्व सायलान् के पिता तेजाराम व गैरसायलान् के पिता भंवरूराम के बीच उनके जीवनकाल मे आपस सहमति बंटवाडा हो रखा है, खाता संख्या 151 खसरा नम्बर 1116 रकबा 7-15 बीघा भूमि गैरसायलान् संख्या 1 व 2 के बंट मे रखी तथा खाता संख्या 266 खसरा नम्बर 435/1 रकबा 8-17 बीघा भूमि सायलान के पिता तेजाराम के बंट मे रखी, उसी माफिक पिछले 45 वर्षो से बंटवाडा होकर खातेदार अपने अपने खसरा नम्बर मे काश्त करते है, यदि सायलान आज 45 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से हुए बंटवाडा माफिक बंटवाडा करवाना चाहे तो गैरसायलान् को कोई आप्पति एतराज नहीं है। सायलान् अपने खसरा नम्बर 435/1 के रकबे की भूमि मे काश्त बाबत् कभी रोकटोक नही की है। इसलिए सायलान् गैरसायलान् के विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा व बंटवाडा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 मे दर्ज कथनो का जबाब है कि प्रार्थनापत्र मे वर्णित भूमि मौके पर आज से 45 वर्ष पूर्व बंटवाडा होकर उसी माफिक खातेदारान् मौके पर काबिज होकर काश्त करते है। सायलान् अपने हक हिस्से की भूमि पर बैंक से ऋण लेवे या अपने हक हिस्से की भूमि को काबिज काश्त करे, इस बाबत् गैरसायलान् ने कभी कोई रोकटोक नही की। खसरा नम्बर 1116 की भूमि पर गैरसायलान् का कब्जा है व खसरा नम्बर 435/1 की भूमि पर सायलान् का कब्जा है। यदि उतरदाता गैरसायलान् द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थनापत्र के अनुसार बंटवाडा करवाना चाहे तो गैरसायलान् सहमत है। इसलिए सायलान् गैरसायलान् के विरूद्ध कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 5 मे दर्ज कथनो का जबाब है कि सायलान् ने इस पद मे गलत व झूठे कथन अंकित किये है सायलान् के हिस्से मे आई खसरा नम्बर 435/1 रकबा 8-17 बीघा भूमि पर कब्जे काश्त मे गैरसायलान् ने कभी कोई रोकटोक नही की व न ही कब्जे से बेदखल करने की कभी कोई धमकी दी। सायलान् के पास गैरसायलान् से 0-11 बीघा भूमि अधिक है, सायलान् के [illegible] प्रकार से कोई हक अधिकार प्रभावित नही हो रहे है न ही उन्हे कोई आर्थिक हानि हो रही है, सायलान् व गैरसायलान् अपने अपने खसरा नम्बर की भूमि मे काश्त करते है। सायलान् गैरसायलान् के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा व बंटवाडा, स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 6 मे दर्ज कथनो का जबाब है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

उतरदाता गैरसायलान् राजस्व रेकर्ड मे सामलाती खातेदारी भूमि का गैरसायलान् द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थनापत्र मे अंकितानुसार बंटवाडा व नजरी नक्शे मे तरमीम बाबत् सहमत है व चाहता है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 7 कानूनी है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 8 मे दर्ज कथनो का जबाब है कि प्रार्थनापत्र में वर्णित खसरा नम्बर 1116 रकबा 7-15 बीघा भूमि पर गैरसायलान् का कब्जा काश्त है तथा खसरा नम्बर 435/1 रकबा 8-17 बीघा पर सायलान् का कब्जा काश्त है, सायलान् व गैरसायलान् खातेदार काश्तकार है इस कारण से प्रथम दृष्टिया मामला सायलान् की अपेक्षा गैरसायलान् के पक्ष मे है तथा मौके पर पिछले 45 वर्षो से बंटवाडा होकर उपरोक्तानुसार काबिज होकर से सुविधा का सन्तुलन भी गैरसायलान् के पक्ष मे है तथा सायलान् अपने 1/2 हिस्से की भूमि से भी 0-11 बीघा अधिक भूमि काबिज होकर से सायलान् को किसी प्रकार से कोई असीम हानि नही हो रही है तथा वो आय भी ले रहा है इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र के तीनो घटक सायलान् के पक्ष मे नही है। इस कारण से सायलान् के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना न्यायोचित नही है। अतः जबाब प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि सायलान् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र किसी दृष्टिकोण से पोषणीय नही होने से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावे।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है:-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-** प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी होने के आधार पर बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर, वाद के विचारण के दौरान अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई है। मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र, अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है। जमाबंदी संवत् 2074-2077, ग्राम पाटवा से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। यह मान्य सिद्धान्त है कि प्रत्येक सहखातेदार का भूमि के प्रत्येक हिस्से पर स्वामित्व एवं कब्जा माना जाता है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का यह कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वादग्रस्त आराजी में केवल प्रार्थीगण के पक्ष में ही प्रथम दृष्टया मामला है। लिहाजा यह बिन्दु बखूबी साबित नहीं होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः-** साधारणतयाः वादग्रस्त आराजी के [illegible] उपभोग उपयोग का लाभार्थी महत्वपूर्ण होता है। बिन्दु संख्या 1 के विवेचन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी सहखातेदारी सामलाती भूमि है। अतः ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक सह-खातेदार का अपने हिस्से में सुविधा का संतुलन निहित होता है। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निहित होना साबित नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seemwer
Date: 2021.10.26 17:34:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

3. **अपूरणीय क्षतिः–** चूंकि पूर्व विवेचित दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुए हैं। साथ ही चूंकि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण भी सहखातेदार है तथा प्रत्येक सहखातेदार को अपने खातेदारी अधिकार का उपयोग एवं उपभोग करनें का प्राथमिक अधिकार होता है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें से इन्हें अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग से महरूम होना पडेगा। जिससे अपूरणीय क्षति अप्रार्थी को होना संभव है। अतः यह बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण जिला–पाली (राज.)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनांक 31/08/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण जिला–पाली (राज.)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:41 IST
Reason: SelfAttested